JPD/Rules-1256

# JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN. U40109RJ2000SGC016486
(A Government of Rajasthan Undertaking)
{Chief Accounts Officer(IA)}
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur 302005
Tel: 0141-2740264, 2740381 Ext. 1436 /Fax: 0141-2740264
Website: www.jaipurdiscom.com Email: caoia@jvvnl.in

"प्रभास्मि शशि सूर्ययो:"

No. JPD/CAO (IA)/AO/Rules/F.43 / D.2691     Jaipur, dated: -5|08|19

## Order

**Sub:- Constitution of committee for enquiriy in the matter regarding financial loss , theft of material etc.**

In order to have elaborate enquiry in the matter regarding financial loss, theft of material etc. pointed out in the *"Dhyanakarshan Prastav"* raised by the Hon'ble member of Legislative Assembly Sh. Laxaman Meena as received from the Secretary, Rajasthan VIdhan Sabha vide U.O.No. F.8(8)Sadan/Vi..Sa./ 2019/ 2/ 131/77/77 dated 28.06.2019 (copy enclosed), a committee comprising of the following members is hereby constitiuted:-

(1) Zonal Chief Engineer(JZ), JPD, Jaipur
(2) Addl. Supdt. of Police (Vig.), JPD, Jaipur
(3) Chief Accounts Officer (IA),JPD, Jaipur - Convenor
(4) Superintending Engineer (Vig.), JPD, Jaipur
(5) Executive Engineer (IA-Tech), JPD, Jaipur.

The committee shall furnish the report within a period of 15 days, positively.

**Encl** :- As above.

By order,

(Dr. R.P.Gupta)
Chief Accounts Officer (IA)

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

(1) The Zonal Chief Engineer(JZ), JPD, Jaipur
(2) The Addl. Supdt. of Police (Vig.), JPD, Jaipur
(3) The Chief Accounts Officer (IA),JPD, Jaipur
(4) The Superintending Engineer (Vig.), JPD, Jaipur
(5) The Executive Engineer (IA-Tech), JPD, Jaipur.

(Dr. R.P.Gupta)
Chief Accounts Officer (IA)

(102)

134

सत्र कार्य/सदन शाखा/अविलम्बनीय

तुरन्त जारी हो।

प्रमिल कुमार माथुर

सचिव

राजस्थान विधान सभा

फैक्स नं.- +91-141-2744333/334

दूरभाष नं.- +91-141-2744326, 2744301/107

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, जयपुर डायरी 3336 दिनांक 3.7.19

अ.शा. पत्रांक: एफ.8(8)सदन/विस/2019/2/131/77/77 जयपुर, दिनांक: 28/06/2019

Urgent DPE

विषय:- विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से हो रहे राजस्व नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

MD (J.V.V.N.L.) R.R./No. 6412 Date 3/7/19

राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग पत्र प्राप्ति संख्या 6929 दिनांक 3/7/2019

1-7-2019 प्रिय श्री गंगवार जी,

उपरोक्त विषय में श्री लक्ष्मण मीणा (153) सदस्य, विधान सभा से राजस्थान विधान-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अंतर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रति प्रेषित कर निदेशानुसार निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष की जानकारी के लिए उक्त प्रस्ताव से संबंधित तथ्य तीन दिन की समयावधि में इस सचिवालय को अवश्य भिजवाने का श्रम करें, ताकि प्रस्ताव की ग्राह्यता विनिश्चित करते समय उन पर विचार किया जा सके।

A.S. 2/7/19

**यदि यह प्रस्ताव आपसे संबंधित नहीं हो, तो कृपया इसे अपने स्तर पर संबंधित विभाग को स्थानान्तरित कर उसकी सूचना इस सचिवालय को अविलम्ब प्रेषित करने का श्रम करें।**

कृपया यह भी सुनिश्चित करने का श्रम करें कि तथ्यात्मक सूचना निर्दिष्ट समयावधि में ही अवश्यमेव प्राप्त हो जाय।

सद्भावी,

(प्रमिल कुमार माथुर) 1.7.19

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

SE(Plan)/Dir(T)

MD JVVNL JAIPUR

श्री नरेश पाल गंगवार
प्रमुख शासन सचिव
ऊर्जा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर।

राज० सरकार
ऊर्जा विभाग जयपुर, दिनांक 03.07.19

प.10(134)ऊ/2/19

उक्त प्रस्ताव की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव के संबंध मे सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

MD JVVNL

शासन सहायक सचिव
ऊर्जा विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

...जस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषय:- प्रक्रिया नियम-131 के अन्तर्गत विद्युत निगम में लाखों रूपयों का गलत भुगतान कर राजकोष को हानि पहुँचाने एवं सामान, उपकरण आदि चोरी होने के संबंध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

महोदय,

मैं आपका ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में गत वर्षों में विद्युत निगम के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से निगम को लाखों रूपयों की हानि पहँचाई है तथा नियम विरूद्ध निगम को हानि देकर कॉलोनाईजर्स को फायदा पहुँचाया है, इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, वर्ष 2014-15 में बस्सी के श्रीरामनगर से लालगढ जीएसएस तक विशेष रूप से लालगढ ग्राम पंचायत के गांव के लिए 15 किलोमीटर की 33 के.वी. लाईन खींची गई थी, जो आज तक चालू नहीं हुई और ठेकेदार ने मिलीभगत से लगभग 50 लाख रूपये का गलत भुगतान उठा लिया। जिसकी आज तक जांच भी नहीं हुई, इस लापरवाही को छिपाने के लिए किशनपुरा, मंद्दरपुरा गांवों को ग्राम पंचायत भूडला जीएसएस से जोड दिया और इस पर अत्यधिक भार बढा दिया, जिसके कारण आये दिन लाईन में अवरोध एवं चोरी बढ रही है। अत: किशनपुरा, मन्दरपुरा को लालगढ जीएसएस जो कि आधा किलोमीटर दूर है, से जोड़ा जावे।

इसी प्रकार, ठेकेदार अधिकारियों की मिलीभगत करके निगम को लूट रहे है, इसका ज्वलंत उदाहरण बस्सी उपखण्ड के अधीन कल्पनानगर में लगाए गए 33 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन करीब 2 करोड की लागत से यह सब स्टेशन बनाया गया था। कल्पना नगर में आज तक किसी भी प्लॉट पर भवन नहीं बना है। जबकि अधिकारियों ने बिना कनेक्शन के करीब 10 ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के जंगलों में लगा दिये। इन ट्रांसफार्मरों को चोर उतार कर ले गए, जिसकी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई और ना ही बरामद किया गया है। इस सब स्टेशन का बाकी सामान भी चोरी हो चुका है, जिसकी आज तक कोई जांच भी नहीं करवाई गई है।

ठेकेदारों द्वारा टेन्डर की शर्तो के अनुरूप काम नहीं करवाया जा रहा है। अकुशल कर्मचारियों से साईट पर काम लिया जा रहा है तथा साईट पर ठेकेदार को लाईन का सामान जारी करने के पश्चात् उतारे गये पुराने सामान का आज तक कोई हिसाब नहीं लिया गया है।

मैं ऊर्जा मंत्री से निवेदन करता हूं कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करें और ठेकेदारों की मिलीभगत से किए गए भुगतान की वसूली की जावे।

कृपया अनुमति प्रदान करें।

भवन्निष्ठ,

(लक्ष्मण मीणा)
वि.स.-153

दिनांक: 28/06/2019